अनुसूची– ४

# अर्नमा गाउँपालिका

## आर्थिक ऐन, २०७९

पाँचौ गाउँ सभाबाट स्वीकृत मितिः २०७९/ ०३ /१७

# अर्नमा गाउँपालिका

अर्नमा

# <u>अर्नमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन</u>

## अर्नमा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७९

**सभाबाट स्वीकृत मिति २०७९-०३-१७**

**प्रस्तावनाः** अर्नमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्नमा गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७९ रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि अर्नमा गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत/ सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपभोगका आधारमा अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । *(एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको अवस्थामा भूमि कर नलाग्ने)*

४. **घर जग्गा वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने छ र उक्त कर सम्बन्धित प्रदेशले असुल गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत् गाउँपालिकाको संचित कोषमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।

८. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।

९. **मनोरञ्जन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **पार्किङ शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्कः** गाउँपालिकालेआफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि १२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. **पर्यटन प्रवेश शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पर्यटकहरुवाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

१५. **कर छुट**यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१६. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

**अनुसूची १ः** *(गाऊँपालिका लगाउने सम्पत्ती करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने)*

**अनुसूची २:** *गाउँपालिकाले लगाउने भूमीकर (मालपोत)का क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ३:** *गाउँपालिकाले लगाउने घर जग्गा वहाल करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ४:** *गाउँपालिकाले लगाउने व्यवसाय करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ५:** *गाउँपालिकाले लगाउने जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ६:** *गाउँपालिकाले लगाउने सवारी साधन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ७:** *गाउँपालिकाले लगाउने विज्ञापन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ८:** *गाउँपालिकाले लगाउने मनोरञ्जन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ९:** *गाउँपालिकाले लगाउने बहाल बिटौरी शुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची १०:** *गाउँपालिकाले लगाउने पार्किङ्ग शुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची ११:** *गाउँपालिकाले लगाउने ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची १२:** *गाउँपालिकाले लगाउने शुल्क तथा दस्तुरका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

**अनुसूची १३:** *गाउँपालिकाले लगाउने पर्यटन प्रवेश शुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गर्ने*

## आर्थिक ऐन अन्तरगत राजश्व दर रेट

## अनुसूची -१

## दफा-२ अनुसार

| सि.न. | विवरण | वार्षिक कर/रेट रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | टाटिको बेरा भएको फुसको छानो भएको भुई तले घर प्रतिघर | १० | |
| २ | टाटिको बेरा भएको फुसको छानो भएको दुई तले घर | २० | |
| ३ | टाटिको बेरा भएको टिनको छानो भएको भुई तले घर | २० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४ | टाटिको बेरा भएको टिनको छानो भएको दुई तले घर | ३० | |
| ५ | ईटाको वालमा फुसको छानो भुई तले घर | ३५ | |
| ६ | ईटाको वालमा टिनको छानो भुई तले घर | ४० | |
| ७ | ईटाको वालमा टिनको छानो दुई तले घर | ४० | |
| ८ | एक तल्ले पक्की मुण्डा घर | ५० | |
| ९ | दुई तल्ले पक्की मुण्डा घर | १०० | |
| १० | तीन तल्ले पक्की मुण्डा घर | २०० | |
| ११ | तीन तल्ला माथीको पक्की घरको प्रति तल्ला थप प्रतिघर | १५० | |

## अनुसूची -२

### दफा-३ अनुसार

| सि.न. | क्षेत्रफल | दर प्रति कठ्ठा रु. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अव्वल | दोयम | सिम | चाहा |
| १ | १ कठ्ठा देखी १ विगाहा सम्म | ३ | २ | २ | |
| २ | १ विगाहा देखी १।५ विगाहा सम्म | ४ | ३ | २ | |
| ३ | १।५ विगाहा देखी ३ विगाहा सम्म | ५ | ४ | ३ | |
| ४ | ३ विगाहा भन्दा माथि जति भएपनि | ७ | ५ | ४ | |
| ५ | उद्योग तथा संस्थाको नाममा रहेको जग्गाको | २५ | २० | १५ | १ |
| ६ | न्यूनतम मालपोत | रु | | | |
| ७ | जरिवाना एक वर्षको भए १० प्रतिशत त्यसपछि प्रत्येक वर्षको थप ५ प्रतिशतले जोडिने | | | | |

## अनुसूची-३

दफा ४ अनुसार

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका घर भाडामा १० प्रतिशतका दरले घर बहाल कर लगाइनेछ ।

## अनुसूची-४

### दफा ५ अनुसार

| *सि.न.* | *विवरण* | करको दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | दैनिक उपभोगका खाध्य पदार्थ बेच्ने पसलमा निम्नअनुसारको कर लिने | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| क. | ५० हजार देखी ५ लाख सम्मको पसलमा | ३०० | प्रतिवर्ष |
| ख. | ५ लाख देखी १०लाख सम्मको पसलमा | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ग. | १० लाख भन्दा माथी जती भएपनि प्रति पसल | १००० | प्रतिवर्ष |
| २ | लुगा सिउने कपाल काटने, तस्विर खिच्ने र प्रति पसल | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ३ | लत्ता कपडा ,औषधी पसल , फलाम , सिमेन्ट, पित्तलबाट तयार हुने भाडाकुडा र रंग रोगन कलात्मक मुर्तीको सामान , विजुलीको सामान विक्रि गर्ने पसलमा निम्नअनुसारकव कर लिने । | | |
| ख. | ५ लाख देखी १० लाख सम्मको पसलमा | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ग. | १० लाख भन्दा माथी जती भएपनि प्रति पसल | १००० | प्रतिवर्ष |
| ४ | मसलन्दको समान पेट्रोल, मोविल, आयल, अइसक्रिम, जुता फर्निसिँङ्गको समान मेसिन, पार्ट, पूर्जा, तैयारि पोशाक अदि माल समान वेच्ने पसलमा निम्न अनुसारको कर लिने | | |
| क. | ५० हजार देखी ५ लाख सम्मको पसलमा | ३०० | प्रतिवर्ष |
| ख. | ५लाख देखी १०लाख सम्मको पसलमा | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ग. | १०लाख भन्दा माथी जती भएपनि प्रति पसल | १००० | प्रतिवर्ष |
| ५ | रेडियो ,घडी क्यामेरा टेलिभिजन ,फ्रिज, सवारी साधन वा विलासिताको समान वेच्ने पसलमा निम्नअनुसारको कर लिने । | | |
| क. | ५० हजार देखी ५ लाख सम्मको पसलमा | ३०० | प्रतिवर्ष |
| ख. | ५ लाख देखी १० लाख सम्मको पसलमा | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ग. | १० लाख भन्दा माथी जती भएपनि प्रति पसल | १००० | प्रतिवर्ष |
| ६ | स्थानिय ईजाजत प्राप्त भएको भट्टीबाट उद्पादित सवै प्रकारका मदिरा बेच्ने पसल वा भट्टीमा निम्नअनुसारको कर लिने | | |
| क. | सानो पसल | ५०० | प्रतिवर्ष |
| ७ | सिमेन्ट टायल, सिमेन्ट ब्लक , ह्युम पाईप , पोल जस्ता सिमेन्ट बाट तयार हुने समानको प्रति पसल | १५०० | प्रतिवर्ष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८ | स्वदेशि वा विदेशि डिस्टिलरी वा ब्रुअरिबाट उत्पादित वोतल बन्दी मदिरा पसल | १००० | प्रतिवर्ष |
| ९ | क.चिया मिठाई तथा भोजनालय पसल क वर्ग | ३००० | प्रतिवर्ष |
| | ख.चिया मिठाई तथा भोजनालय पसल ख वर्ग | १५०० | प्रतिवर्ष |
| १० | नेपाल सरकारको स्वीकृती लिई स्थापना भएको मदिरा भट्टीमा | ५००० | प्रतिवर्ष |
| ११ | छापाखाना | १५०० | प्रतिवर्ष |
| १२ | ईटा झिंटी आदी उत्पादन गर्ने उधोगमा प्रति चिमनी | ५०००० | |
| १३ | ठाडो भएको इट्टा भिन्टी उत्पदन विक्री मा | ५००० | |
| १४ | ज्यासल खोली व्यापार गर्ने पसल | १००० | |
| १५ | होटल गेस्ट हाउसमा | १००० | |
| १६ | कविराज, चिकित्सक, दण्त चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यावसायी लेखापरीक्षक व्यावसायिक व्यावसाला ज्योतिस शिक्षण सस्था टाइप कम्प्युटर मनी चेन्जर फनिचर पशु चिकित्सक पेन्टरमा | १००० | |
| १७ | बैंकिङ्ग र वितिय संस्थामा निम्न अनुसारको कर लिने | | |
| क. | एक करोड भन्दा मुनीको पुँजिमा | ५००० | |
| ख. | एक करोड भन्दा माथिको पुँजिमा | १०००० | |
| १८ | व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा | १००० | |
| १९ | दुध व्यावसायिक चिज उधोगमा | ५०० | |
| २० | घरेलु तथा साना उधोगमा | १००० | |
| २१ | मझौला उधोगमा | ५००० | |
| २२ | ठूलो उधोगमा | २५००० | |
| २३ | गाउँपालिका प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यावसायी लाइ | ५००० | |
| २४ | व्यवसायीक संचार फोन फैक्स सेवा फोटो प्रिन्ट | ५००० | |
| २५ | मिलको प्रति अश्व शत्ती वापत | २५ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २६ | माथिको प्रकरणमा नपरेका अन्य | २५ देखि २५० सम्म तजविजमा | |

**अनूसुचि ५**

**दफा ६ अनुसार**

**अर्नमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रमा जडिबुटीका क्षेत्रमा कुनै किसिमको कर निर्धारण गरेको छैन ।**

**अनूसुचि ६**

**दफा ७ अनुसार**

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | बस ट्रक लहरी र अन्य ज्यामी गाडीको | ५०० | |
| २ | भाडाको कार जिपमा | ५०० | |
| ३ | भाडाको टेम्पु | २०० | |
| ४ | भाडाको मिनी वस | ५०० | |
| ५ | निजीकार टयाक्टर टयाम्पु र मिनी वसमा | २०० | |
| ६ | विदेशमा दर्ता भएका देहायका सवारी साधन गाउँपालिकामा प्रवेश गर्दा निम्न अनुसारका सवारी मा निम्न बमोजिमको दैनिक कर लिने | | |
| क. | मोटर साइकल स्कुटर दैनिक | २० | |
| ख. | मोटर कार जिप भ्यान | ५० | |
| ग. | ट्रक लहरी वस कन्टेनर डोजर रोलर आदि जस्ता ज्यामी सवारी साधन | १०० | |
| ७ | निजी तथा भाडाको वस ट्रक र ट्रयाक्टर प्रति पटक | १५ | |
| ८ | निजी तथा भाडाका टेम्पुमा | ५ | |
| ९ | अन्य सवारी साधनमा | ५ | |

**अनूसुचि ७**

**दफा ८ अनुसार**

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | गाउँपालिका क्षेत्र भित्र विज्ञापनको लागि राखेको होडिंङ्ग वोर्ड प्रति स्कायर फिट | १५ | |
| २ | भिते लेखन प्रति विक्षापन प्रति स्कायर फिट | ७ | |

अनूसुचि ८

दफा ९ अनुसार

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | सिनेमा हल भिडियो हल साँस्कृतिक प्रर्दशन स्थल थिएटर सगित तथा मनोरन्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा उठेको रकमको | ३ प्रतिशत | |
| २ | जादु सरकस चटक आदीमा प्रति दिन | २५० | |

**अनूसुचि ९**

**दफा १० अनुसार**

| सि न | विवरण | न्युनतम मासिक | अधिकतम मासिक | |
|---|---|---|---|---|
| १ | गापाबाट निर्माण भएको पक्की सटर प्रति कोठा मासिक | ३००० | डाक बढाबढबाट | |
| २ | कच्ची सटर कोठाहरु निर्माण भएको प्रतिकोठामा मासिक | ५०० | डाक बढाबढबाट | |
| ३ | एलानी पर्ती जग्गा जोत आवाद गरि भोग चलन गरेको जग्गामा एक कठा सम्म (बार्षिक) | अब्बल- १५००<br>दोयम - १५००<br>सिम- १५००<br>चाहार- ८०० | ठेक्का लगाउने | |

अनुसुची १०

दफा ११ अनुसार

गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनलाइ पार्किङ उपलब्ध गराए वापत कुनै किसिमको कर निर्धारण गरिएको छैन ।

अनुसुची ११

दफा १२ अनुसार

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ,बन्जी जम्पिङ जिप फ्लायर र रयाफ्टिङ सेवा सञ्चालनमा नरहेकोले कुनै किसिमको कर

निर्धारण गरिएको छैन ।

अनुशची-१२

दफा -१३ अनुसार

| सि.न. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | सरसफाई शुल्क | १५ | |
| २ | पर्यटकिय वनभोज क्षेत्रको प्रवेश शुल्क स्वदेशीलाई | ५० | |
| ३ | पर्यटकिय वनभोज क्षेत्रको प्रवेश शुल्क विदेशीलाई | १०० | |
| ४ | पार्कको उदघाटन प्रवेश शुल्क स्वदेशीलाई | ५० | |
| ५ | पार्कको उदघाटन प्रवेश शुल्क विदेशीलाई | १०० | |
| ६ | कसैको रकम कलम उठाई दिएकोमा उठेको रकमको ५ प्रतिशत | | |

| सि.न. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | टिकट वापत | १० | |
| २ | नागरिक्ता प्रमाणपत्र सिफारिस /प्रतिलिपी सिफारिस | ५० | |
| ३ | नाता प्रमाणित दस्तुर | ५० | |
| ४ | सरजमिन दस्तुर | २०० | |
| ५ | जाग्गा नामसारी दस्तुर | १०० | |
| ६ | मोही नामसारी दस्तुर | १०० | |
| ७ | मोही छोडपत्र नियुन्तम ५ कठ्ठा सम्म | १०० | |
| ८ | मोही छोडपत्र अधिकत्म प्रतिकठ्ठा | २० | |
| ९ | मोही लगत कट्टा अन्य ५ कठ्ठा सम्म | २०० | |
| १० | मोही लगत कट्टा अन्य ५ कठ्ठा माथी प्रतिकठ्ठा | २० | |
| ११ | फोटोटाँस सिफारिस | ५० | |
| १२.क | घरबाटो सिफारिस ग्राईभेल बाटोले छोएको | १०० | |
| ख. | पिच बाटोले छोएको ५ कठ्ठा सम्म | २०० | |
| ग. | बाटो नछोएको जग्गामा ५ कठ्ठा सम्म | ५० | |
| घ | ५ कठ्ठा भन्दा माथी प्रतिकठ्ठा | १० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १३ | अचल सम्पती मुल्याङ्कण १० लाख सम्मको | ०।०३ प्रतिशत | |
| १४ | अचल सम्पती मुल्याङ्कण १० लाख माथी | ०.०५ प्रतिशत | |
| १५ | काठ चिरानी सीफारिस रिक्सा ठेलागाडाबाट | २५ | |
| १६ | काठ चिरानी सीफारिस वैलगाडाबाट | ५० | |
| १७ | काठ चिरानी सीफारिस ट्रायकटरबाट | १५० | |
| १८ | काठ चिरानी सीफारिस ट्रकबाट | २५० | |
| १९ | विद्युत सिफारिस घरको लागि | ५० | |
| २० | विद्युत सिफारिस कृषीको लागि | ५० | |
| २१ | विद्युत सिफारिस उद्योगको लागि | १०० | |
| २२ | अन्य नखुलेको सिफारिस दस्तुर | ५० | |
| २३ | प्रतिलिपि प्रमाणित दस्तुर | २५ | |
| २४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क | २०० | |
| २५ | व्यक्तिगत घटना प्रमाणित प्रतिलिपी | ५०० | |
| २६ | घर बहाल कर | १० प्रतिशत | |
| २७ | सस्था नविकरण | १००० | |

## अन्य सिफारिस

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २९ | बहुउदेश्य सहकारी | दर्ता | ३००० | |
| | | नविकरण | २००० | |
| ३० | विषयगत सहकारी | दर्ता | २००० | |
| | | नविकरण | १५०० | |
| ३१ | कृषि समूह दर्ता | दर्ता | १००० | |
| | | नविकरण | ५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३२ | अन्य सिफारिस दस्तुर | १०० | |
| ३३ | कृषि मिटर सिफारिस दस्तुर | १०० | |
| | | | |
| ३४ | चिम्नी ईटा भठ्ठा | ५०००० | |
| ३५ | १ करोड लागत भन्दा माथिको उधोगको लागि | ५००० | |
| ३६ | ५० लाख भन्दा माथि र १ करोड भन्दा मुनीको उधोगको लागि | ३५०० | |
| ३७ | ५० लाख भन्दा मुनी सवै उधोगको लागि | २५०० | |
| ३८ | अन्य पर्यावरणीय सिफारिसको लागि | १००० | |
| ३९ | "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायि जारी | १०००० | |
| ४० | "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायि नविकरण | ७००० | |
| ४१ | घर अभेलिखिकरण किताब खरिद | ५०० | |
| ४२ | निजि विधालय कक्षा थपको दस्तुर | ५००० | |
| ४३ | नयाँ निजि विधालय दर्ताको शुल्क | १०००० | |
| ४४ | घरेलु तथा साना उधोगको सिफारिस दस्तुर | ५०० | |
| ४५. | घर नक्सा | ३ रुपैया प्रति स्क.फिट | |
| ४६. | घर अभिलेखीकरण दस्तुर | २ रुपैया प्रति | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | स्क.फिट | |
| ४७. | पोखरी, कुखुरा,भैसी,गाइ, बाख्रा लगायतका चौपाया फर्म दर्ता बार्षिक दस्तुर | १०,००० | |
| ४८. | निजि क्लिनिक दर्ता शुल्क | १०००० | |